

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

सीठासन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैाद स्थल - कसबाडा

953

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 522/25 त्थपर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.सं.	नाम- प्रारंभ	ज्ञान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>अमरपुर</u>	<u>67</u>	महोदय जी, निरोदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		तहसिलदार कपासन की अनुशांषा स्वीकार की जाकर राज.भू.श.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>अमरपुर</u> प.ह. <u>कसबाडा</u> खतासं. <u>67</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दशमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	
			स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया	
			हस्ताक्षर पटवारी <u>पटवारी</u>	हस्ताक्षर प्रिदापर <u>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</u>	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि चालनाथ - पटवार मुण्डल कसबाडा चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दशमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन
 (उपखण्ड अधिकारी)
 सहायक कलक्टर
 तहसीलदार कपासन
 तहसीलदार(भू.अ.) कपासन